कार्यालय नगर पालिका परिषद गोण्डा

कोटेशन सूचना

दिनांकः– 12-5-2015

सर्व साधारण/अधिकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु कोटेशन दिनांक 18/5/15 को समय अपरान्ह 2.00 बजे तक कार्यालय नगर पालिका परिषद गोण्डा में आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त कोटेशन को उसी तिथि को समय सायं 3.00 बजे उपस्थित कोटेशन दाताओं के समक्ष खोला जोयेगा।

अतः इच्छुक व्यक्ति उपरोक्त तिथि को निधारित समय के अन्दर अपना कोटेशन बाक्स में डाल सकते हैं। अधिकतम जानकारी हेतु निर्माण लिपिक से किसी कार्य अवधि में सम्पर्क कर सकते है।

1–एल0आई0सी0कार्यालय के निकट सरकुलर रोड पटरी पर 60 फीट छोडकर शौचालय निर्माण कार्य।

2– मो0 जिगरगंज में मछली मण्डी से सलीम हडडी वाले के मकान होते हुए भूतपूर्व अध्यक्ष श्री कमरूद्दीन के मकान से आगे तक पेन्टेड सड़क मरम्मत कार्य।

3–मालवीय नगर स्थित सब्जी मण्डी में शौचालय मरम्मत कार्य।

4–जिला महिला अस्पताल निकट शौचालय मरम्मत कार्य।

नियम एवं शर्ते

1–वे सभी व्यक्ति जो आयकर व्यापारकर विभाग में पंजीकृत है। अपनी मुहरबन्द कोटेशन निर्माण कार्य के लिए दे सकते हैं। कोटेशन के साथ पंजीयन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य होगा।

2–कोटेशनदाता को कुल 10 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। कोटेशन के साथ विज्ञप्ति में प्रकाशित जमानत धनराशि जमा करना होगा। बिना जमानत धनराशि के प्राप्त किसी भी कोटेशन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जमानत की यह धनराशि के0बी0पी0/बैंकर्स चेक/नकद आदि के रूप में होगी, जिसे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद गोण्डा के पक्ष में बंधक होना अनिवार्य होगा।

3–कोटेशनदाता को निर्धारित समयावधि के अन्दर वॉछित निर्माण कार्य को पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा विलम्ब होने के दशा में दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है। जिसके अन्तर्गत जमा जमानत की जब्ती एवं लेखा/अनुबन्ध भी निरस्त किया जाना एवं जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

4–कोटेशनदाता को शौचालय निर्माण कार्य मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप करना होगा। मानक के विपरीत कार्य कराये जाने पर ठेकेदार के विरूद्व दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

5–कोटेशनदाता/ठेकेदार का शौचालय निर्माण कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर बिलों के रूप में भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होगा।

6–कोटेशनदाता/ठेकेदार के बिल से नियमानुसार आयकर/व्यापारकर की कटौती के पश्चात ही भुगतान किया जावेगा।

7–निर्माण कार्य पूर्ण कराने की समयावधि में किसी प्रकार से कोई वृद्वि नहीं की जायेगी।

8–नगर पालिका परिषद गोण्डा को कोई बकायेदार कोटेशन में भाग नहीं ले सकता है।

9–माफिया गतिविधियों, गैंगस्टर अथवा अपराधिक प्रवृत्तियों में संलिप्त व्यक्ति कोटेशन में भाग नहीं ले सकते है।

10–कोटेशनदाता को अपनी कोटेशन की दर आल ओवर प्रतिशत में देना होगा।

11–इस कोटेशन से सम्बन्धित जानकारी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र गोण्डा की वेवसाइट से भी प्राप्त की जा सकती है।

12–प्राप्त कोटेशनओं को स्वीकृत/अस्वीकृत तथा निरस्त करने एवं नियम शर्तो/प्रतिबन्धें को शिथिल करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा किन्तु इसका उल्लेख पत्रावली पर किया जावेगा।

13–निर्माण कार्य की आवश्यकतानुसार घटाई बढाई जा सकती है। तदनुसार ही ठेकेदार को भुगतान किया जायेगा।

14–प्रति कोटेशन के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में कोटेशन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

15–ठेकेदार द्वारा कोटेशन के आधार पर कराये गये शौचालय निर्माण कार्य में यदि किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो उसका उत्तरदायी ठेकेदार स्वयं होगा।

16–कोटेशनदाता को कोटेशन स्वीकृत होने के पश्चात अपने व्यय से निर्धारित दर पर स्टाम्प पेपर प्रस्तुत करके अनुबन्ध पत्र भरना होगा।

5/05/15

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद,
गोण्डा

9.5.15

अध्यक्ष / अपर जिलाधिकारी
नगर पालिका परिषद
गोण्डा

कार्यालय नगर पालिका परिषद गोण्डा

पत्रांक 173 / न0पा0परि0गो0 / 2015 दिनांक 12-5 2015

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1–आयुक्त महोदय देवीपाटन मण्डल गोण्डा।

2–जिलाधिकारी महोदय गोण्डा।

3–जिला सूचना विज्ञान केन्द्र गोण्डा।

4–समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।

5–नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
गोण्डा